बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
निबंधित कार्यालय : अस्पताल मार्ग शास्त्रीनगर, पटना–800023

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)
Regd. Office: HOSPITAL ROAD, SHASTRI NAGAR, PATNA-800023

पत्रांकः– 330 | दिनांक 08/04/2013

सेवा में,

सभी उपमहाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

विषयः– **सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता एवं सहायक महाप्रबंधक के योगदान के समय विहित प्रपत्र मे एकरारनामा करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अपने यहाँ नवनियुक्त कनीय अभियंता/सहायक महाप्रबंधक के योगदान के समय विहित प्रपत्र मे एकरारनामा करेंगे। एकरारनामा की एक प्रति नियोजित व्यक्ति, एक प्रति युनिट कार्यालय मे रखेंगे एवं एक प्रति मुख्यालय को भेज देगे।

विश्वासभाजन

7.4.13
महाप्रबंधक (प्रशासन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

Fax No. : 0612-2284861
E.mail ID : bsbccl.patna@yahoo.com

<u>संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा</u>

यह एकरारनामा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना एवं चयनित/नियोजित होनेवाले श्री/श्रीमती.. के बीच निम्नलिखित शब्दो के साथ की जा रही हैः–

(1.) यह नियोजन केवल... (पद का नाम) के लिए किया जा रहा है।

(2.) यह नियोजन संविदा के आधार पर समान्यतः 1 वर्ष के लिये होगी, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्ष्यमान अवधि होगी इस अवधि में कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही अगले नौ महीने का नियोजन विस्तारित किया जा सकेगा। तदोपरांत नियोजित व्यक्ति की दक्षता, कार्यक्षमता एवं कॉरपोरेशन की आवश्यकता के आधार पर संविदा की अवधि भविष्य के लिये विस्तारित की जा सकती है।

(3.) संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती.. को प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(4.) संतोषजनक कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार के आधार पर 3% से 10% तक का वार्षिक वेतन वृद्धी का भुगतान प्रबंध निदेशक की अनुमति से दिया जा सकता है। संतोषजनक कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार के आकलन का पूर्ण अधिकार बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, पटना का होगा।

(5.) इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों की तरह कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(6.) इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा कोई दावा अनुमान्य नही होगा।

(7.) संविदा पर नियोजित व्यक्ति का पदस्थापन तथा स्थानान्तरण का पूर्ण अधिकार बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का होगा।

(8.) नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(9.) यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक होगा जिसकी सम्पुष्टि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, पुलिस सत्यापन तथा परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् ही होगी।

(10.) इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंटेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

(11.) यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जात है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(12.) संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्ते मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्ते का उल्लंधन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।　　　　　　　　(नियोजित व्यक्ति)